फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
निवासी ब्रह्मपुरी गोहल्ला सांतपुर
तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
सचिव नगर सुधार न्यास आबू

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 15 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.04.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 15.02.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 27.12.2023 को वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर को नगर सुधार न्यास के अधीनस्थ खसरा संख्या 697, 712 की कृषि आरक्षित होने के कारण उक्त भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पत्रावली खारिज की गई, परन्तु वर्तमान में आरक्षित भूमि पर बिना निर्माण स्वीकृति प्राप्त किए ब्रह्माकुमारी संस्थान के ट्यूरिस्टों द्वारा उक्त भूमि में नियम विरूद्ध अवैध भवन निर्माण करने बाबत् शिकायत करने पर वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर द्वारा आदेश क्रमांक / जेडीजेड–1120 / आबू(62 / 2014) / 46 दिनांक 08.01.2024 के तहत उक्त प्रकरण में नगर सुधार न्यास आबू को कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था। अतः उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 15.02.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 27.12.2023 को वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर को नगर सुधार न्यास के अधीनस्थ खसरा संख्या 697, 712 की भूमि कृषि आरक्षित होने के कारण उक्त भूमि की शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पत्रावली खारिज की गई, परन्तु वर्तमान में आरक्षित भूमि पर बिना निर्माण स्वीकृति प्राप्त किए ब्रह्माकुमारी संस्थान के ट्यूरिस्टों द्वारा उक्त भूमि में नियम विरूद्ध अवैध भवन निर्माण करने बाबत् शिकायत करने पर वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर द्वारा आदेश क्रमांक / जेडीजेड–1120 / आबू(62 / 2014) / 46 दिनांक 08.01.2024 के तहत उक्त प्रकरण में नगर सुधार न्यास आबू को कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था। अतः उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर [illegible] आबू को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना [illegible] नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों [illegible] पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय [illegible] सुनाया [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2024.05.28 18:12:30 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner